तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई.–25 (13)/276 /वि.कार्य/2018–19/532-33 दिनाँक – 25/2/19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषयः– विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 13 दिनांक 25/2/19 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनाँक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो कि आपको अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

भवदीय,

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

(S. C. MEENA)
Deputy Director of Education
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–
1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम :– **शिक्षा विभाग**

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 13

दिनाँक :– 25.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली सरकार के स्कूलों में वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 में नवीं एवं ग्यारहवी कक्षाओं में कितने–कितने वर्षवार प्रीबोर्ड परीक्षा में फेल हुए;	नौवीं एवं ग्याहरवीं कक्षाओं के छात्रों के लिए प्री–बोर्ड परीक्षाओं का कोई प्रावधान नहीं है।
ख)	फेल हुए विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों को दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला नहीं दिया गया;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।
ग)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल एक शपथ पत्र के अनुसार वर्ष 2018–19 में नवीं से बारहवीं तक के 66 प्रतिशत असफल विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों में दाखिला नहीं दिया गया;	जी नहीं।
घ)	वर्ष 2018–19 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में बारहवीं में असफल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्रों को दाखिला नहीं दिया गया;	12वीं, 11वीं, 10वीं व 9वीं में असफल छात्रों के पुनः प्रवेश के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने सर्कुलर नम्बर DE.23(37)/Sch.Br./2018/1269 Dated 27.08.2018 तथा सर्कुलर नम्बर DE.23(37)/Sch.Br./2018/1285 Dated 04.09.2018 निर्गमित किए हैं। (प्रति संलग्न)
ङ)	ग्यारहवीं, दसवीं तथा नवीं में से कितने प्रतिशत असफल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्रों को दाखिला नहीं दिया गया;	
च)	क्या यह भी सत्य है कि सरकार अपने स्कूलों के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निरन्तर कमजोर छात्रों को स्कूलों से निकाल रही है; और	शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कमजोर छात्रों को स्कूलों से नहीं निकाला जा रहा है अपितु उनके शैक्षिक विकास के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं जैसे जीरो पीरियड़, रैमेडियल क्लासेज, मिशन बुनियाद क्लासेज, प्रगति श्रृंखला, सहायक सामग्री, अभिभावक शिक्षक सभा इत्यादि।
छ)	यदि नहीं, तो इसके वास्तविक कारण क्या है?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(S. C. MEENA)
Deputy Director of Education
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi

Scanned by CamScanner